पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.1952

==

मेसर्स माटेई इलेक्ट्रो होम्यो इंडस्ट्रीज एक स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र बिक्रमगंज, प्लॉट नं. बी4 और बी5, थाना-बिक्रमगंज, जिला-रोहतास अपने मालिक अशोक कुमार सिंह, पुरुष, लगभग 55 वर्ष की आयु, स्वर्गीय दया शंकर सिंह के पुत्र, गाँव-धनगईं, थाना-बिक्रमगंज, जिला-रोहतास-802212 के निवासी हैं।

बनाम

...........अपीलकर्ता/गण

1. सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, पटना।
3. आबकारी आयुक्त, रोहतास।
4. समाहर्ता, रोहतास।
5. सहायक आबकारी आयुक्त, रोहतास।
6. राज्य औषधि नियंत्रक (आयुष) सह राज्य अनुज्ञप्ति अधिकारी, बिहार, पटना।

...........प्रतिवादी/गण

==

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940, बिहार निषेध एवं आवकारी अधिनियम 2016 की धारा 13 और 17 भारत का संविधान - अनुच्छेद 14, 19(1)(g) तथा अनुच्छेद 19(6) को होम्योपैथिक दवा के निर्माण के लिए सक्षम/राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारण से अनुज्ञप्ति मिला। याचिकाकर्ता ने मादक पदार्थों की खरीद के लिये आबकारी विभाग से संपर्क किया-विभाग ने अधिनियम, 2016 पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया-राज्य के अनुच्छेद 19(6) के तहत सिर्फ कानून के जरिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है न कि कार्यकारी आदेश के माध्यम से-राज्य ने कानून के रुप में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है ताकि मौजूदा व्यापारियों या निर्माताओं के एक अलग वर्ग से अलग या वर्गीकृत किया जा सके या और इसलिए नए अनुज्ञप्ति धारक, व्यापारी निर्माता का एक अलग वर्ग बनाते हैं-आयुक्त का आदेश मनमाना था-आदेश को दरकिनार कर दिया गया-विभाग को बिना किसी भेदभाव के होम्योपैथिक दवा के निर्माण के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं का मादक पदार्थों की सामग्री प्रदान करने का निर्देश दिया गया था [(2004)11 एससीसी 26]

(पैरा 9, 10, 11, 12 और 13)

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.1952

==

मेसर्स माटेई इलेक्ट्रो होम्यो इंडस्ट्रीज एक स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र बिक्रमगंज, प्लॉट नं. बी4 और बी5, थाना-बिक्रमगंज, जिला-रोहतास अपने मालिक अशोक कुमार सिंह, पुरुष, लगभग 55 वर्ष की आयु, स्वर्गीय दया शंकर सिंह के पुत्र, गाँव-धनगईं, थाना-बिक्रमगंज, जिला-रोहतास-802212 के निवासी हैं।

बनाम

...........अपीलकर्ता/गण

1. सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, पटना।

3. आबकारी आयुक्त, रोहतास।

4. समाहर्ता, रोहतास।

5. सहायक आबकारी आयुक्त, रोहतास।

6. राज्य औषधि नियंत्रक (आयुष) सह राज्य अनुज्ञप्ति अधिकारी, बिहार, पटना।

...........प्रतिवादी/गण

==

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए:	श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
	श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता
	सुश्री कनुप्रीय, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए:	श्री मुजीर्बुअल हक, जीपी 12
	श्री प्रनोय कुमार, जीपी12 के एसी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. बजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. बजंत्री)

तिथी: 06.03.2024

तत्काल याचिका में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः .

"(i) प्रमाणपत्र की एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए, ज्ञापन संख्या 14/एम एंड टी. पी./2023-8171 में निहित 28.12.23 दिनांकित आदेश को रद्द करना, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् सचिव, पंजीकरण द्वारा पारित किया गया था। आबकारी और निषेध विभाग, बिहार, पटना जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का आवेदन होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण के लिए याचिकाकर्ता को एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (इ एन ए) खरीदने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के लिए

आवश्यक आदेश जारी करने के लिए याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेशों तथा बिहार मध् निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 13 और 17 के आलोक में याचिकाकर्ता को नया अनुज्ञप्ति प्रदान करना और इ. एन. ए. का आवंटन करना कानून के अनुसार नहीं होगा;

(ii*) प्रतिवादियों को विशेष रूप से प्रतिवादी सं. 2 को होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण के लिए एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (इ.एन.ए.) प्राप्त करने/खरीदने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी करना;*

(iii) ऐसे किसी अन्य आदेश पारित करें जिन्हे माननीय न्यायाधीश वर्त्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त और उचित समझें। "

2. याचिकाकर्ता स्वामित्व उद्योग होम्योपैथिक दवा की बिक्री (या वितरण) के लिए निर्माण के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया। इस संबंध में उन्होंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत अनुज्ञापत्र प्राप्त किया था। इस तरह का अनुज्ञापत्र राज्य औषधि नियंत्रक (आयुष)-सह-राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, बिहार, पटना द्वारा जारी किया गया है और यह फॉर्म-25-सी (देखें नियम-85 डी) में है, ऐसा अनुज्ञप्ति 25.02.2022 को जारी किया गया था, और यह 25.02.2022 से 24.02.2027 तक की अवधि के लिए प्रचलन में होगा। इन तिथियों और घटनाओं का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने 11.04.2023 को 12,000 लीटर ई. एन. ए. (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) की खरीद के लिए आबकारी विभाग से संपर्क किया। आवेदन का निपटारा नहीं किया गया था या उनकी शिकायत का निवारण नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2023 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 9801 दाखिल किया गया था और यह आबकारी आयुक्त-प्रतिवादी को एक विस्तृत सकारण आदेश पारित करने

का निर्देश देते हुए 28.07.2023 पर निपटाया गया। तदनुसार, 28.12.2023 पर याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया गया है। अतः वर्तमान याचिका प्रस्तुत है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 12,000 लीटर ई. एन. ए. प्रदान करने के रूप में याचिकाकर्ता की शिकायत को अस्वीकार करना इस न्यायालय के पहले के दो फैसलों के विपरीत है, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, जो इस याचिका का हिस्सा हैं, अर्थात् 2016 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 6415 ने 27.10.2016 को निर्णय लिया और 2017 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 8705 ने 12.02.2018 पर निर्णय लिया। 2017 की सिविल अपील संख्या 247 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 9375 में 20.04.2018 को इस न्यायालय के फैसले की पुष्टि की। समन्वय पीठ के उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले के निर्णय प्रासंगिक समय पर उन मौजूदा अनुज्ञप्तियों पर लागू होते हैं, जबकि याचिकाकर्ता अनुज्ञप्ति दिनांकित 25.02.2022 के संदर्भ में होम्योपैथिक दवा का निर्माण करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, नए निर्माता के लिए ई. एन. ए. प्रदान करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के विवाद के समर्थन में उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 2 (40) के साथ पठित धारा 13 और 17 पर भरोसा किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांकित 28.12.2023 के विवादित आदेश में दिया गया तर्क गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य ने दवाओं के निर्माण के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया है, जिसकी तिथि 17.03.2016 है, जिसमें ज्ञापन संख्या है। 1507 जो 2016 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 6415 का विषय था और इसे समन्वय पीठ द्वारा 27.10.2016 को खारिज कर दिया गया था। 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 8705 में बाद के निर्णय में इसी सिद्धांत को दोहराया गया था और इसे

12.02.2018 को निपटाया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को होम्योपैथी दवा के निर्माण के उद्देश्य से अनुरोधित ई. एन. ए. प्रदान करने से इनकार करना भेदभाव के बराबर है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है।

5. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के दिनांकित 28.12.2023 के विवादित निर्णय में कोई कमजोरी नहीं है। संबंधित प्राधिकारी ने कारण बताए हैं कि याचिकाकर्ता होम्योपैथिक दवा के निर्माण के संबंध में ई. एन. ए. और अन्य संबंधित स्पिरिट की खरीद का हकदार क्यों नहीं है। उन्होंने भरोसा किया अधिनियम, 2016 की धारा 13 और 17 को बाद की धारा 2 (40) अधिनियम, 2016 के साथ पढ़ा।

6. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना।

7. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के होम्योपैथिक दवाओं की बिक्री या वितरण के लिए निर्माण करने का राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा 25.02.2022 को जारी अनुज्ञप्ति के अनुसार, अनुज्ञप्ति धारक हैं और यह 25.02.2022 से 28.02.2027 तक की अवधि के लिए प्रचलन में है। अनुज्ञप्ति के अनुसार, याचिकाकर्ता ने होम्योपैथिक दवा के निर्माण के उद्देश्य से ई. एन. ए. की खरीद के लिए प्रतिवादियों से संपर्क किया है। उसी पर कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को मैंडमस की याचिका में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान याचिका।

8. राज्य सरकार ने दवा के निर्माण के उद्देश्य से कुछ मादक पदार्थ/ई. एन. ए. सामग्री प्रदान करने से इनकार करने के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लिया, जिसका परिपत्र दिनांक 17.03.2016 उद्धृत (उपरोक्त) है, जिसमें नया लाइसेंस जारी करने और मौजूदा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से संबंधित नीतिगत निर्णय दिनांक 17.03.2016 पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह 2016 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 6415 में इस न्यायालय के

समक्ष मुकदमे का विषय था और बाद में 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 8750 में दोनों याचिकाओं की अनुमति दी गई थी। वास्तव में संबंधित अधिकारी प्रत्यर्थी को मौजूदा लाइसेंस के नवीनीकरण का निर्देश देते हुए राज्य सरकार के 17.03.2016 नीतिगत निर्णय को रद्द कर दिया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति केवल उन मौजूदा अनुज्ञप्ति धारकों को दी गई है। दूसरी ओर, हमें इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि नीति निर्णय दिनांक 17.03.2016 संबंध में है। नया अनुज्ञप्ति जारी करना और उस विशेष तिथि पर मौजूदा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण के सम्बन्ध में है। दूसरे शब्दों में, जहाँ तक नए अनुज्ञप्ति पर प्रतिबंध लगाने की बात है, वह भी दिनांक 17.03.2016 के नीतिगत निर्णय का एक विषय था और इसे रद्द कर दिया गया है।

9. इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सभी निष्पक्षता में आबकारी आयुक्त को याचिकाकर्ता को होम्योपैथिक दवा के निर्माण के उद्देश्य से संबंधित मादक पदार्थों की खरीद की अनुमति देनी चाहिए थी। होम्योपैथिक दवाई के मौजूदा निर्माण और नए लाइसेंस धारक के बीच राज्य सरकार की ओर से मादक पदार्थों की खरीद या आपूर्ति के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

10. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन किया गया है। इस मुद्दे पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम देवांस मॉडर्न ब्रीवरीज लिमिटेड और एक अन्य** के मामले में निर्णय **(2004) 11 एस. सी. सी. 26, पैरा 344 (3)** में**,** में प्रतिवेदित किया गया जो निम्नानुसार हैः

> *"344 (3) शराब का व्यापार करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अर्थ के भीतर एक मौलिक अधिकार है और राज्य, हालांकि, खंड (6) के संदर्भ में ऐसे व्यापार को पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकता है। "*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आलोक में, यह स्पष्ट है कि राज्य को अनुच्छेद 19 (6) को लागू करने की अनुमति हैं। इस स्तर पर, अनुच्छेद 19 को फिर से प्रस्तुत करना आवश्यक हैः

"19. बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। –(1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा -

(ए) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए;

(बी) शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होना;

(सी) संघों या संगठन का गठन करना;

(डी) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना;

(ई) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में रहना और बसना;

(जी) किसी भी पेशे को अभ्यास करना, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने। [(2) खंड (1) के उपखंड (ए) की कोई बात किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक कि ऐसी कानून [भारत की संप्रभुता और अखंडता], राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाती है।](3) उक्त खंड के उपखंड (बी) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक वह [भारत की संप्रभुता और अखंडता या] सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाली कोई कानून लागू करता है, या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है।

(4) उक्त खंड के उपखंड (सी) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक वह [भारत की संप्रभुता और अखंडता या] सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में राज्य को कोई कानून उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लागू करने से रोकता है।

(5) उक्त खंड के [उपखंड (डी) और (ई)] में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक वह लागू करता है, या राज्य को आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए उक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने से रोकता है।

(6) उक्त खंड के उपखंड (जी) की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह लागू करती है, या राज्य को आम जनता के हित में, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने से रोकती है, और विशेष रूप से, [उक्त उपखंड की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह संबंधित है, या राज्य को इससे संबंधित कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगीः

(i) किसी भी पेशे का कार्य करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता, या

(ii) नागरिकों के किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को, चाहे वह पूर्ण या आंशिक रूप से हो, राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम द्वारा चलाया जाना।]”

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य को अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। हालाँकि, यह केवल कानून के माध्यम से होना चाहिए न कि कार्यकारी आदेश

के माध्यम से। यहां तक कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांकित 17.03.2016 इस तरह के कार्यकारी आदेश को भी रद्द कर दिया गया है और मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया है और इसकी पुष्टि और विस्तृत रूप से जांच की गई है कि कानून के अनुसार व्यापार और अन्य गतिविधियों को शामिल करने के उद्देश्य से अधिकार नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य के उत्तरदाताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14 को इस हद तक दूर करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है कि होम्योपैथी दवा के मौजूदा निर्माण या नए अनुज्ञप्ति धारक के बीच एक उचित वर्गीकरण है। दूसरे शब्दों में, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस मुद्दे पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू करने के लिए एक उचित प्रतिबंध है। यहां तक कि उत्तरदाता राज्य ने भी कानून के रूप में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है ताकि यह अंतर या वर्गीकृत किया जा सके कि मौजूदा व्यापारी या निर्माता का एक अलग वर्ग बनाते हैं और इसलिए नए अनुज्ञप्ति धारक भी व्यापारी/निर्माता का एक अलग वर्ग बनाते हैं।

11. इन भौतिक जानकारी के अभाव में और यह तथ्य कि राज्य सरकार का दिनांक 17.03.2016 का नीतिगत निर्णय पहले से ही न्यायिक समीक्षा के अधीन था। इसलिए, होम्योपैथिक दवा के निर्माण के उद्देश्य से ई. एन. ए. की खरीद के लिए याचिकाकर्ता की अस्वीकृति मनमाना है। तदनुसार, 12.10.2023 दिनांकित आक्षेपित संचार को खारिज किया जाता है।

12. प्रत्यर्थी संख्या 2-सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, पटना को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार और उन निर्माताओं के बराबर होम्योपैथिक दवा के निर्माण के उद्देश्य से मादक पदार्थ/ई. एन. ए. सामग्री प्रदान किया जाए , जिन्हें राज्य द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जा रहा

है। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई आवश्यक मादक पदार्थ/ई. एन. ए. सामग्री इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को प्रदान की जाएगी।

13. इसके अलावा, जब तक कोई नीतिगत निर्णय या कोई वैधानिक नियम जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक याचिकाकर्ता को समय-समय पर होम्योपैथिक दवा के निर्माण के उद्देश्य से मादक पदार्थ/ई. एन. ए. सामग्री प्रदान की जाएगी।

14. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे,न्यायमूर्ति)

अभिषेककर/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।